


अज अदालत श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस. ,
बड़जलास: उपखंड अधिकारी सूरजगढ, झुन्झुनू (राजस्थान)

कृष्ण कुमार बनाम मन फूल सिंह वगै०

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु०नं० 158 / 2023

दिनांक - 13.05.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम लोटिया की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 1.99 है०, खसरा संख्या 535/366 रकबा 0.91 है०, खसरा संख्या 334 रकबा 1.45 है०, खसरा नम्बर 350 रकबा 3.92 है० कुल किता 04 कुल रकबा 8.27 है० एवं खसरा संख्या 288 रकबा 0.60 है०, खसरा संख्या 289 रकबा 0.70 है०, खसरा संख्या 83 रकबा 0.22 है०, खसरा संख्या 84 रकबा 0.21 है०, कुल किता 04 कुल रकबा 1.73 है० भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.05.2025 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।


(सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)
उपखंड अधिकारी सूरजगढ
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:-158/2023
कृष्ण कुमार बनाम मनफुल सिंह वगै०
निर्णय दिनांक:- 13.05.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)


मु०नं० 158/2023
निर्णय दिनांक:- 13.05.2025

कृष्ण कुमार बनाम मन फुल सिंह वगै०
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 13.05.2025 को श्रीमती सुमन देवी ॥ उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

वाद वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम लोटिया की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 1.99 है०, खसरा संख्या 535/366 रकबा 0.91 है०, खसरा संख्या 334 रकबा 1.45 है०, खसरा नम्बर 350 रकबा 3.92 है० कुल किता 04 रकबा 8.27 है० एवं खसरा संख्या 288 रकबा 0.60 है०, खसरा संख्या 289 रकबा 0.70 है०, खसरा संख्या 83 रकबा 0.22 है०, खसरा संख्या 84 रकबा 0.21 है०, कुल किता 04 कुल रकबा 1.73 है० भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.05.2025 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार कांश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

यह आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।


(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
सूरजगढ